

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनमृत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2007—वैशाख 21, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मई 2007

क्र. 2943-186-21-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 मई, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २००७.

महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, २००७.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. मध्यप्रदेश पतञ्जलि संस्कृत संस्थान की स्थापना तथा निगमन.
४. संस्थान के उद्देश्य.
५. संस्थान की शक्तियां और उसके कृत्य.
६. संस्थान के प्राधिकारी.
७. साधारण परिषद्.
८. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.
९. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
१०. साधारण परिषद् की शक्तियां और कृत्य.
११. कार्यपरिषद्.
१२. कार्यपरिषद् की सदस्यता.
१३. कार्यपरिषद् के सदस्यों की पदावधि.
१४. कार्यपरिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
१५. कार्यपरिषद् का सम्मिलन.
१६. विद्यापरिषद्.
१७. विद्यापरिषद् की सदस्यता.
१८. विद्यापरिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.
१९. विद्यापरिषद् का सम्मिलन.
२०. वित्त समिति.
२१. संस्थान के अधिकारी.
२२. संस्थान का चेयरमेन.
२३. संस्थान के कर्मचारिवृंद.
२४. संस्थान को भुगतान.
२५. संस्थान की निधि.
२६. वे उद्देश्य जिनके लिए संस्थान की निधि का उपयोग किया जाएगा.
२७. लेखा तथा संपरीक्षा.
२८. वार्षिक रिपोर्ट.
२९. बजट.
३०. अधिनियम और कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना.
३१. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.
३२. विवरणियां और जानकारी.
३३. संस्थान के आदेशों और विलेखों का अधिप्रमाणीकरण.
३४. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
३५. विनियम बनाने की शक्ति.
३६. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.
३७. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
३८. इस अधिनियम के प्रारंभ पर होने वाले परिणाम.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २००७.

महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, २००७.

[दिनांक ५ मई, २००७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ मई, २००७ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयोजन हेतु और स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिए और उससे संस्कृत एवं आनुवंशिक अन्य विषयों के लिए एक संस्थान की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, २००७ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
तथा प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "चेयरमेन" से अभिप्रेत है, धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त संस्थान का चेयरमेन;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, धारा ६ के खण्ड (घ) तथा (ङ) के अधीन गठित समिति;

(ग) "निदेशक" से अभिप्रेत है, धारा २३ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक;

(घ) "कार्य-परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा ११ के अधीन गठित संस्थान की कार्य-परिषद्;

(ङ) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा २५ के अधीन स्थापित संस्थान की निधि;

(च) "साधारण परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन गठित संस्थान की साधारण परिषद्;

(छ) "संस्थान" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान;

(ज) "विनियम" से अभिप्रेत है, संस्थान द्वारा बनाए गए विनियम;

(झ) "स्कूल" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के ऐसे स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल, जिसमें पाठशालाएं सम्मिलित हैं और जिनमें संस्कृत में शिक्षा दी जाती है;

(ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार.

३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक संस्थान स्थापित करेगी, जो महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान कहलाएगा.

महर्षि पतञ्जलि
संस्कृत संस्थान की
स्थापना तथा
निगमन.

(२) संस्थान का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(३) संस्थान पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम तथा स्थावर संपत्ति अर्जित करने और धारित करने और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति का अंतरण करने और संविदा करने एवं इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा एवं उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

(४) संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, निदेशक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं निदेशक को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

संस्थान के उद्देश्य.

४. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

- (एक) संस्कृत भाषा और साहित्य में सन्निहित ज्ञान, विज्ञता और दृष्टिशक्ति का प्रसार करना;
- (दो) संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन से सम्बद्ध स्कूल शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित, प्रोन्नत एवं संचालित करना;
- (तीन) संस्कृत की शिक्षा के परम्परागत रीति से किए जा रहे अध्ययन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत पाठशालाओं के बीच परस्पर समन्वयन को प्रोन्नत करना और संस्कृत शिक्षा की पारंपारिक और आधुनिक पद्धतियों के बीच लय स्थापित करना;
- (चार) सतत् शिक्षा, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संस्कृत से सम्बन्धित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;
- (पांच) सामान्य संस्कृत और विशिष्ट रूप से प्राच्य संस्कृत का अध्ययन पाठ्यक्रम विकसित करना;
- (छह) संस्कृत पर विशेष बल देते हुए भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन और गवेषणा की सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (सात) संस्कृत और इसके साहित्य तथा संस्कृत के ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं से सम्बन्धित अध्यापन, प्रशिक्षण और गवेषणा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के एक केन्द्र के रूप में विकसित करना;
- (आठ) संस्कृत और इसके साहित्य और प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुए संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन के लिए संस्कृत स्कूलों की स्थापना करना;
- (नौ) उत्तर मध्यमा (उच्चतर माध्यमिक) स्तर तक संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना;
- (दस) नवाचार सहित संस्कृत शिक्षा को प्रयोज्य प्रणाली विज्ञान का विकास करना और उसका संचालन करना; और
- (ग्यारह) संस्कृत की अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना.

संस्थान की शक्तियां
और उसके कृत्य.

५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसी कि संस्थान ठीक समझे तथा संस्कृत और उसके साहित्य तथा ज्ञान की सहबद्ध शाखाओं से सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं, अध्यापन तथा शिक्षण का उपबंध करना;
- (ख) संस्कृत में शोध हेतु उपबंध करना, विशेष पाठ्यक्रम संचालित करना और संस्कृत और उसके साहित्य एवं सहबद्ध शाखाओं के ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसका प्रसार करना;
- (ग) संस्थाओं, स्कूलों, विभागों अथवा विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, उनका संधारण करना और प्रबन्ध करना;
- (घ) संस्कृत स्कूलों अथवा पाठशालाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, उसे वापस लेना अथवा उसे उपांतरित करना;
- (ङ) संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम अधिकथित करना;
- (च) प्रमाण-पत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं और पदवी प्रदान करना;

- (छ) परीक्षाएं या परीक्षण आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना जिन्होंने अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे संस्थान में अथवा ऐसे स्कूल में अध्ययन किया हो, जिसे कि संस्थान के विशेषाधिकार दिए गए हों, तथा जिन्होंने संस्थान द्वारा विहित परीक्षाएं और परीक्षण ऐसी रीति में उत्तीर्ण किए हों, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए;
- (ज) संस्थान द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाण-पत्र को, ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, वापस लेना अथवा निरस्त करना;
- (झ) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सम्मेलन, गोष्ठियां, कार्यशालाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करना;
- (ञ) अभिलेखागार, पुस्तकालय, सूचना केन्द्र, डाटा बैंक, संग्रहालय तथा ऐसी अन्य संस्थाएं, जो कि संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने में उपयोगी हों, संधारित करना;
- (ट) संस्कृत में किए गए मूल्यवान कार्यों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पाण्डुलिपियों को एकत्रित करना, उनका संरक्षण करना, उनका संपादन करना तथा उन्हें प्रकाशित करना;
- (ठ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति, संगम या निगमित निकाय से सदान, अनुदान, दान स्वीकार करना अथवा धन उधार लेना;
- परन्तु धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग मध्यप्रदेश सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा;
- (ड) संस्कृत के प्रोन्नयन के लिए विन्यास संस्थित करना, धारित करना और उसका प्रबंध करना;
- (ढ) संस्कृत के उन्नयन और प्रसार के लिए पुरस्कार (अवार्ड), अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पारितोषिक (प्राइज), पदक (मैडल) संस्थित करना;
- (ण) ऐसे प्रयोजनों के लिए संस्थाओं या व्यक्तियों को जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देना;
- (त) सम्बद्ध स्कूलों का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाते हैं तथा उनमें पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध की जाती है;
- (थ) सम्बद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस विनियमित करना;
- (द) अन्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट निकायों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जैसा कि संस्थान अवधारित करें;
- (ध) संस्थान के आंतरिक वित्तीय संसाधनों को विकसित करना;
- (न) संस्कृत, शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (प) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसन्धानीय और अन्य पदों को सृजित करना तथा संस्थान के लिए उनमें नियुक्ति करना;
- (फ) बच्चों के लिए संस्कृत में साहित्य, गीत और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना;
- (ब) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित, प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं में विहित किए गए अध्ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करना तथा पाठ्य विवरण का प्रकाशन करना;
- (भ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं;
- (म) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित, प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों तथा संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण के अभिवर्धन के उपाय अंगीकृत करना और उनके छात्रावासों के लिए शर्तें विहित करना;

- (य) संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रलाभ के लिए ऐसी रीति में, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पेंशन, बीमा, भविष्य निर्धि और उपदान गठित करना, और ऐसे अनुदान देना, जैसा कि संस्थान उचित समझे;
- (कक) स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा का प्रचार करने की दृष्टि से शिक्षण पाठ्यक्रम और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य विवरण के बारे में राज्य सरकार को अनुशंसा करना; और
- (कख) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों या जो उनके आनुषांगिक या सहायक हों.

संस्थान के प्राधिकारी.

६. संस्थान में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

- (क) साधारण परिषद्;
- (ख) कार्य-परिषद्;
- (ग) विद्या-परिषद्;
- (घ) वित्त समिति; और
- (ङ) ऐसी अन्य समितियाँ या निकाय जिन्हें कि विनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी होना घोषित किया जाए.

साधारण परिषद्,

७. (१) संस्थान की एक साधारण परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

पदेन सदस्य

- (एक) मुख्यमन्त्री, मध्यप्रदेश;
- (दो) भारसाधक मन्त्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (तीन) भारसाधक मन्त्री, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश;
- (चार) भारसाधक मन्त्री, आदिमजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (पांच) भारसाधक मन्त्री, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (छह) संस्थान का चेयरमेन;
- (सात) चेयरमेन, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल;
- (आठ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (नौ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (दस) प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (तेरह) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
- (चौदह) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र;
- (पन्द्रह) संस्थान का निदेशक;

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (सोलह) मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संस्कृत के तीन आचार्य;

(सत्रह) संस्थान से सम्बद्ध स्कूलों के तीन प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, जो संस्कृत में चर्चा या वाद-विवाद में भाग ले सकते हों;

(अठारह) छह सामाजिक कार्यकर्ता जो संस्कृत में विद्वान हों तथा जो संस्कृत ज्ञान के प्रचार में संलग्न हों और जो संस्कृत में चर्चा या वाद-विवाद में भाग ले सकते हों;

(२) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री साधारण परिषद् का प्रेसीडेंट तथा स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक मंत्री, साधारण परिषद् का वाईस प्रेसीडेंट होगा.

(३) संस्थान का निदेशक, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

(४) खण्ड (सोलह) से खण्ड (अठारह) के अधीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

८. (१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए साधारण परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी;

साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

(२) जहाँ साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहाँ उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जब कि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या यथास्थिति उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या उसे रद्द कर दिया जाए;

(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह किसी ऐसे दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित हो या यदि कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में चेयरमेन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या वह संस्थान के हितों के विरुद्ध कार्य करता है;

(४) साधारण परिषद् का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य संस्थान के चेयरमेन को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, जैसे ही वह चेयरमेन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा;

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिए हकदार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके कि स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती, तो पद धारण करता.

९. (१) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.

साधारण परिषद् का सम्मिलन.

(२) प्रेसीडेंट सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में वाईस प्रेसीडेंट सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और प्रेसीडेंट तथा वाईस प्रेसीडेंट दोनों की अनुपस्थिति की दशा में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर-बराबर हों तो प्रेसीडेंट या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक हो जाए तो प्रेसीडेंट, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्यवाही साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त सूचित की जाएगी और कागज-पत्र साधारण परिषद् के आगामी सम्मेलन में उसके समक्ष पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(६) पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के कामकाज की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण, सम्यक् रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलन, निदेशक द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मेलन में रखे जाएंगे।

साधारण परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

१०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों और संस्थान के विनियमों के अध्वधीन रहते हुए, साधारण परिषद् निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी निकाय होगी जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगी;

(२) उपरोक्त उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण परिषद् संस्थान के कामकाज और क्रियाकलापों को चलाने और उनका प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी,—

- (क) संस्थान के कार्यकलापों और कामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन;
- (ख) संस्थान की व्यापक नीतियां तथा कार्यक्रम बनाना तथा उनका पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;
- (ग) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना;
- (घ) संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों में एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना;
- (ङ) ऐसे विनियम बनाना जैसा साधारण परिषद् समय-समय पर संस्थान के क्रियाकलापों को विनियमित करने और उसके प्रबंधन हेतु आवश्यक समझे और उन्हें परिवर्तित, उपांतरित और विखण्डित करना;
- (च) संस्थान के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों और निकायों को मानीटर करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हें नियंत्रित करना;
- (छ) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को संस्थान के चेयरमेन, निदेशक या किसी प्राधिकारी या समिति या किसी उपसमिति या अपने किसी एक या अधिक सदस्यों को अथवा किसी कर्मचारी को प्रत्यायोजित करना; और
- (ज) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो वह संस्थान के दक्षतापूर्ण कार्यकरण और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

कार्यपरिषद्.

११. (१) कार्यपरिषद् संस्थान की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(२) संस्थान का प्रशासन, प्रबन्धन तथा नियन्त्रण और उसकी आय कार्यपरिषद् में निहित होगी जो संस्थान की सम्पत्ति तथा निधियों को नियन्त्रित और प्रशासित करेगी।

कार्यपरिषद् की सदस्यता.

१२ (१) कार्यपरिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:—

- (एक) संस्थान का चेयरमेन;
- (दो) निदेशक;
- (तीन) साधारण परिषद् के दो सदस्य जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

- (चार) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
- (पांच) मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
- (छह) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
- (सात) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
- (आठ) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र;
- (नौ) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठतानुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किये गये संस्थान के दो पूर्णकालिक शिक्षक;
- (दस) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश;
- (ग्यारह) सम्बद्ध स्कूलों के दो प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक जो नामनिर्देशित किए जाएं.

(२) संस्थान का चेयरमेन, कार्यपरिषद् का चेयरमेन तथा निदेशक कार्यपरिषद् का सचिव होगा.

१३. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए;

कार्यपरिषद् के सदस्यों की पदावधि.

(२) किसी पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह किसी ऐसे दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो अथवा यदि वह कार्यपरिषद् के चेयरमेन की अनुमति के बिना कार्य परिषद् के तीन लगातार सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है या वह संस्थान के हितों के विरुद्ध कार्य करता है या निदेशक से भिन्न कोई सदस्य अथवा किसी संकाय का कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है;

(३) जब तक कि कार्यपरिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा १ या २ में उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, पदेन सदस्यों से भिन्न कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से जिसको कि वे कार्यपरिषद् के सदस्य हो जाते हैं, पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे;

(४) किसी पदेन सदस्य से भिन्न कार्यपरिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के चेयरमेन को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही कार्यपरिषद् के चेयरमेन द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा;

(५) कार्यपरिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्तियां नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएंगी.

१४. धारा ५ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

कार्यपरिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

- (एक) विद्यापरिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संस्थान में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं, भरती के तरीके, परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना :

परन्तु पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा;

- (दो) प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भरती के तरीके तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;
- (तीन) इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समितियों की सिफारिश पर, समय-समय पर, अध्यापन तथा लिपिकीय कर्मचारिवृन्द जो आवश्यक हों, की नियुक्ति करना;
- (चार) संस्थान के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध करना और उन्हें विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझें;
- (पांच) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या उसका अन्तरण प्रतिगृहीत करना;
- (छह) संस्थान की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकर्ता नियुक्त करना;
- (सात) संस्थान का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, साधित्र, उपस्कर और अन्य आस्तियों की व्यवस्था करना;
- (आठ) संस्थान के अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की अपीलों तथा अभ्यावेदनों को विनियमों के अनुसार विनिश्चित करना;
- (नौ) विद्यापरिषद् की सिफारिशों पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटों) की फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;
- (दस) संस्थान के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना;
- (ग्यारह) बजट प्रस्तावों तथा पुर्विनियोजन के लिये प्रस्तावों और लेखाओं एवं संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना तथा उसे ऐसी सिफारिशों के साथ जैसी कि वह ठीक समझे, साधारण परिषद् को प्रस्तुत करना;
- (बारह) विनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए विद्यापरिषद् की सिफारिश पर स्कूलों को संस्थान के विशेषाधिकार देना और उनमें से किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना;
- (तेरह) सम्बद्ध स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा निदेश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा शिक्षा की उचित दशा सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे निदेशों की अवहेलना की दशा में विद्यापरिषद् की सिफारिशों पर सम्बद्धता की शर्तों को उपांतरित करना या ऐसे अन्य कदम उठाना, जो इस निमित्त आवश्यक और उचित समझे जाएं;
- (चौदह) सम्बद्ध स्कूलों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवाना;
- (पन्द्रह) किसी सम्बद्ध स्कूल के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को संस्थान के अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता वापस लेना;
- (सोलह) विभिन्न कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थायी समितियां तथा उ.। समितियां गठित करना;

(सत्रह) निदेशक द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना और साधारण परिषद् को उसे ऐसे उपांतरणों के साथ प्रस्तुत करना, जैसी कि वह उचित समझें;

(अठारह) इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार व्ययों के प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

(उन्नीस) वित्त समिति या विद्यापरिषद् द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करना और उस पर समुचित विनिश्चय करना;

(बीस) विनियम तैयार करना और उन्हें साधारण परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, और

(इक्कीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित की जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित हों।

१५. (१) कार्यपरिषद् का सम्मिलन तीन मास में कम से कम एक बार होगा।

कार्यपरिषद् का सम्मिलन.

(२) संस्थान का चेयरमेन कार्यपरिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

(३) कार्यपरिषद् के किसी सम्मिलन में उसके छह सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(४) कार्यपरिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्यपरिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हों तो यथास्थिति कार्यपरिषद् के चेयरमेन या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(५) चेयरमेन, कार्यपरिषद् के सम्मिलन में किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसे विशेषज्ञ को मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

१६. विद्यापरिषद्, संस्थान की विद्या सम्बन्धी निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे संस्थान के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबंधी समस्त मामलों पर कार्यपरिषद् को सलाह दे।

विद्यापरिषद्.

१७. (१) विद्यापरिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

विद्यापरिषद् की सदस्यता.

(एक) संस्थान का चेयरमेन जो उसका चेयरमेन होगा;

(दो) विख्यात शिक्षाविदों या मैन आफ लेटर्स, या विद्वान प्रोफेशनल्स या विख्यात आम व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं, कार्यपरिषद् के परामर्श से चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) निदेशक, जो विद्यापरिषद् का सचिव होगा;

(चार) सहबद्ध स्कूलों के तीन प्राचार्य या प्रधान अध्यापक जो चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(पांच) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयों के संस्कृत के तीन आचार्य जो कार्यपरिषद् के परामर्श से चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(छह) संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष;

(सात) संस्थान के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जो चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और

(आठ) सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल.

(२) अशासकीय सदस्यों से भिन्न सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी.

विद्यापरिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१८. इस अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् को उसमें विनिहित की गई समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधारण परिषद् या कार्यपरिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किया जाए, रिपोर्ट करना;

(दो) संस्थान में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(तीन) संकायों के गठन के लिए स्कीमों के विनिर्माता, उपान्तरण या पुनरीक्षण और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या संकायों का विलियन करने की समीचीनता पर कार्यपरिषद् को रिपोर्ट करना;

(चार) संस्थान में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिए विनियमों को कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करना;

(पांच) संस्थान के भीतर तथा बाहर गवेषण को प्रोन्नत करने संबंधी विषयों पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्यापन तथा गवेषणा से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यपरिषद् को समुचित सिफारिश करना;

(सात) अन्य बोर्डों, संस्थानों के प्रमाण-पत्रों की मान्यता पर कार्यपरिषद् को सलाह देना तथा संस्थान के प्रमाण-पत्रों के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य विशिष्टताओं के संस्थापन पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और व्यय नियत करने के संबंध में कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(दस) पुरस्कार (अवार्ड), वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक (मैडल) तथा पुरस्कार (प्राइज) पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(ग्यारह) पाठ्यपुस्तकों तथा विहित किए गए अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-विवरण की कार्यपरिषद् को सिफारिश करना; और

(बारह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

१९. (१) विद्यापरिषद्, उतनी बार, जितनी कि आवश्यक है, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी भी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी।

विद्यापरिषद् का सम्मिलन।

(२) विद्यापरिषद् का चेयरमेन, विद्यापरिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे;

(३) विद्यापरिषद् के सम्मिलन के लिए विद्यापरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(४) विद्यापरिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्यापरिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो विद्यापरिषद् के चेयरमेन को या, यथास्थिति, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा;

(५) यदि विद्यापरिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो चेयरमेन विद्यापरिषद् के सदस्यों में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्यापरिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र विद्यापरिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

२०. (१) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

वित्त समिति.

(एक) संस्थान का चेयरमेन;

(दो) निदेशक;

(तीन) दो सदस्य जो कार्यपरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी जो उप सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी के न हों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(२) संस्थान का निदेशक, वित्त समिति का सचिव होगा;

(३) उपधारा (१) के खण्ड (तीन) में उल्लिखित वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे;

(४) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(एक) संस्थान का वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संपरीक्षा करना और उसे कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करना तथा वित्तीय मामलों में कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और संस्थान की वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(चार) संस्थान पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यपरिषद् या संस्थान के चेयरमेन द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्यपरिषद् को सिफारिश करना;

(५) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(६) संस्थान का चेयरमेन, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.

संस्थान के अधिकारी.

२१. संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) संस्थान का चेयरमेन;

(दो) निदेशक; और

(तीन) ऐसे अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

संस्थान का चेयरमेन.

२२. (१) एक ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्वान को इस निमित्त बनाये गए विनियमों के अनुसार साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट द्वारा संस्थान के चेयरमेन के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

(२) चेयरमेन उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जिस तारीख को वह पद धारण करता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु, पूरी नहीं कर लेता है इनमें से जो भी पूर्वतः हो और पैंसठ वर्ष की उच्चतर आयु सीमा के अधधीन रहते हुए पश्चात्पूर्ती अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा :

परन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और अपना पद धारण न कर ले, किन्तु ऐसी कालावधि छह मास से अधिक की नहीं होगी.

(३) चेयरमेन की सेवा शर्तें तथा कृत्य इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे.

(४) चेयरमेन, संस्थान का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और चेयरमेन का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन हो रहा है.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान के कारवार से उद्भूत होने वाली किसी आपात स्थिति में जिस पर चेयरमेन की राय में शीघ्र कार्रवाई की जाना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् कार्यपरिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में उसकी कार्रवाई के पुष्टिकरण के लिए रिपोर्ट करेगा :

परन्तु चेयरमेन द्वारा की गई कार्रवाई से संस्थान तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कोई आवर्ती व्यय करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार विनियमों में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी विषय पर नहीं होगा.

(६) यदि चेयरमेन की राय में संस्थान के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी कार्यवाही के संस्थान के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और मामला साधारण परिषद्

को निर्दिष्ट करेगा और संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को इस प्रकार सूचित करेगा जहां पर संबंधित के विनिश्चय को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि साधारण परिषद् द्वारा मामले का विनिश्चय न कर दिया जाए.

(७) यदि, किसी समय किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच कर लेने के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट को यह प्रतीत होता है कि संस्थान का चेयरमेन—

(क) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है; या

(ख) संस्थान के उद्देश्यों या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में उसने कार्य किया है; या

(ग) संस्थान के कार्यकलापो का प्रबंध करने में असमर्थ है,

तो प्रेसीडेंट इस तथ्य के होते हुए भी कि चेयरमेन की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है,

लिखित में एक आदेश द्वारा, उसमें कारणों को अभिकथित करते हुए उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना पद त्याग दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश चेयरमेन को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(८) उपधारा (७) के अधीन पारित किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से चेयरमेन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और पद रिक्त हो जाएगा.

२३. (१) संस्थान, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जैसे कि इस निमित्त संस्थान द्वारा बनाए जाएं, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निदेशक नियुक्त करेगा, जो संस्कृत में स्नातक उपाधि या ऐसी समतुल्य अर्हता धारित करता हो, जैसी कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा संस्कृत में चर्चा या विचार-विमर्श (डिबेट) में भाग लेने में समर्थ हो.

संस्थान के
कर्मचारिवृन्द.

(२) निदेशक, संस्थान तथा उसके साथ-साथ साधारण परिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(३) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जैसे कि साधारण परिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या वित्त समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं.

(४) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए जैसे कि संस्थान द्वारा इम्न निमित्त बनाए जाएं, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी संख्या में नियुक्ति कर सकेगा जितने कि इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हों और उनके पदाभिधान, ग्रेड तथा अर्हता अवधारित कर सकेगा तथा संस्थान के समस्त कर्मचारिवृन्द ऐसी आवश्यक अर्हता विशिष्टतया संस्कृत में धारण करेंगे जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए और संस्कृत में चर्चा या विचार-विमर्श (डिबेट) में भाग लेने में समर्थ होंगे.

(५) संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्तों के हकदार होंगे तथा अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तों से शासित होंगे जैसी कि इस निमित्त विनियमों द्वारा विहित की जाय.

२४. राज्य सरकार, समय-समय पर, संस्थान को ऐसी धनराशि देगी, जैसी कि वह उचित समझे.

संस्थान को भुगतान.

२५. (१) संस्थान एक निधि स्थापित करेगा तथा संधारित करेगा जो संस्थान की निधि कहलाएगी.

संस्थान की निधि.

(२) संस्थान की निधि में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे :—

- (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;
- (ख) केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;
- (ग) संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त फीस तथा अन्य प्राप्तियां;
- (घ) दान, संदान, न्यास, विन्यास (एनडाउमेण्ट्स) या अंतरण तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो, के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त धन;
- (ङ) किसी अन्य रीति में या अन्य सेवा के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त धन.

वे उद्देश्य जिनके लिए संस्थान की निधि का उपयोग किया जाएगा.

२६. संस्थान की निधि का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोजन किया जाएगा; अर्थात् :—

- (क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा उपगत ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए;
- (ख) किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों के खर्चों के लिए जिनमें संस्थान एक पक्षकार हैं;
- (ग) संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान करने के लिए;
- (घ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में संस्थान द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के भुगतान करने के लिए;
- (ङ) संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास, गवेषणा और प्रशिक्षण पर उपगत किन्हीं अन्य व्ययों के लिए.

लेखा तथा संपरीक्षा.

२७. (१) संस्थान के लेखे ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसे अंतराल पर तथा ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा की जाएगी और संपरीक्षक की संपरीक्षा फीस संस्थान द्वारा, समय-समय पर नियत की जाएगी.

(३) जैसे ही संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाती है, वैसे ही संस्थान संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट और तुलन-पत्र के साथ राज्य सरकार को ऐसी रीति में भेजेगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए;

वार्षिक रिपोर्ट.

२८. (१) निदेशक, प्रत्येक वर्ष के लिए संस्थान की गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कार्यपरिषद् के माध्यम से साधारण परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा.

(२) साधारण परिषद् द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

बजट.

२९. (१) संस्थान का निदेशक, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में ऐसी रीति में बजट तैयार करवाएगा जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए और उसे वित्त समिति तथा कार्यपरिषद् के माध्यम से साधारण परिषद् को प्रस्तुत करेगा.

(२) साधारण परिषद्, ऐसी रकम को जैसे कि आवश्यक हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्ष या लघु शीर्ष के भीतर, पुनर्विनियोजित करने में सक्षम होगी;

(३) साधारण परिषद्, जब कभी आवश्यक हो एक अनुपूरक बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक पारित कर सकेगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए.

३०. इस अधिनियम के अधीन संस्थान, साधारण परिषद्, कार्यपरिषद् या किसी समिति या उप समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस कारण के आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि संस्थान या साधारण परिषद् या कार्यपरिषद् या उसके किन्हीं प्राधिकरणों समिति या उप समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.

कार्य और कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना.

३१. (१) संस्थान ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा जैसा कि इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं.

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति.

(२) राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि वह निदेश दे, संस्थान का, उसके भवनों, प्रयोग शालाओं, संग्रहालयों, कार्यशालाओं तथा उपकरणों एवं संस्थान द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा ऐसी संस्था का, जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हों तथा संस्थान द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, अध्ययन और अन्य कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करवा सकेगी तथा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले की जांच उसी रीति में करवा सकेगी.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण, मूल्यांकन या जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और तदुपरि राज्य सरकार, ऐसे निदेशों को, जैसा कि वह ठीक समझे, संस्थान को संसूचित करेगी.

३२. संस्थान राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि वह समय-समय पर अपेक्षित करे.

विवरणियां और जानकारी.

३३. संस्थान के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य विलेख निदेशक या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

संस्थान के आदेशों और विलेखों का अधिप्रमाणीकरण.

३४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थान प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी और न ही उनके विरुद्ध नुकसान के लिए कोई दावा किया जाएगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

३५. (१) संस्थान, साधारण परिषद् के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत ऐसे विनियम बना सकेगी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

विनियम बनाने की शक्ति.

- (क) धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले संस्थान के चेयरमेन के चयन की प्रक्रिया;
- (ख) धारा २२ की उपधारा (३) के अधीन चेयरमेन और धारा २३ की उपधारा (१) के अधीन निदेशक की अवधि और सेवा शर्तें;
- (ग) धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन लेखा तैयार करना;
- (घ) वह रीति जिसमें धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन संपरीक्षित लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट भेजी जाएगी;
- (ङ) धारा २९ के अधीन बजट और अनुपूरक बजट तैयार करना;

- (च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार आदि प्रदान करने की शर्तें;
- (छ) क्रमशः धारा २२ की उपधारा (३) तथा धारा २३ की उपधारा (३) के अधीन चेयरमेन तथा निदेशक की शक्तियां और कृत्य;
- (ज) अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरणों या समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (झ) संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले या व्यवधान उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों पर शास्ति का अधिरोपण;
- (ञ) प्रमाण-पत्रों को प्रदान करना;
- (ट) संस्थान के विशेषाधिकार में प्रवेश देने के प्रयोजन के लिए स्कूलों की मान्यता की शर्तें, शिक्षकों की अर्हताएं और सेवा शर्तें तथा शिक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संहिता बनाना.
- (ठ) समस्त प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम अधिकथित करना;
- (ड) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थियों को संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और प्रमाण-पत्रों के लिए पात्र होंगे;
- (ढ) संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस;
- (ण) परीक्षाओं को संचालित करना;
- (त) परीक्षकों की नियुक्ति और संस्थान की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और शक्तियां;
- (थ) संस्थान के विशेषाधिकार में संस्था को प्रवेश देना और उसको वापस लेना;
- (द) संस्थान के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें;
- (ध) संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि का गठन;
- (न) संस्थान के वित्त के संबंध में समस्त नियन्त्रण, प्रशासन, सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रबन्ध;
- (प) समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा या विनियमों द्वारा उपबंधित हों या उपाबंधित किए जाएं.

(२) साधारण परिषद्, कार्य परिषद् से अनुमोदन के लिए विनियम प्राप्त करने पर ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए उन्हें अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे या पुनर्विचारण के लिए उन्हें कार्य परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) बनाए गए समस्त विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(४) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी या उसे उपांतरित कर सकेगी;

परन्तु ऐसे रद्दकरण या उपांतरण के पूर्व संस्थान को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा.

३६. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कठिनाईयों को दूर कर सकेगी : कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

३७. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

३८. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे; अर्थात् :— इस अधिनियम के प्रारंभ पर होने वाले परिणाम.

- (एक) उत्तर मध्यमा स्तर (हायर सेकेण्ड्री स्तर) तक संस्कृत शिक्षा दे रहे और वर्तमान में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड या राज्य के किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध मध्यप्रदेश के समस्त संस्कृत स्कूल या पाठशाला संस्थान से सम्बद्ध रहेंगे;
- (दो) मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड संस्थान में विलीन हो जाएगा;
- (तीन) जीवाजी वैधशाला, उज्जैन और राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल का प्रशासन संस्थान में निहित हो जाएगा;
- (चार) खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापनाओं की समस्त आस्तियां और दायित्व संस्थान में निहित हो जाएंगी;
- (पांच) खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापना के समस्त कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी समझे जाएंगे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों के निबन्धन तथा सेवा की शर्तें ऐसी रीति में उपांतरित नहीं की जाएगी जो उनके लिए कम अनुकूल हो :

परन्तु यह और कि खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापना में पदस्थ शासकीय कर्मचारी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तब तक पदस्थ समझे जाएंगे जब तक कि उनकी सेवाओं का उनकी सहमति से संविलियन नहीं हो जाता है या उन्हें पैतृक विभाग में वापस नहीं कर दिया जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2007

क्र. 2944-186-इक्कीस-अ-(प्रा).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान, अधिनियम, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 15 OF 2007.

THE MAHARSHI PATANJALI SANSKRIT SANSTHAN ADHINIYAM, 2007.

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Establishment and incorporation of Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan.
4. Objectives of Institute.
5. Powers and functions of Institute.
6. Authorities of Institute.
7. General Council.
8. Term of office of members of General Council.
9. Meetings of General Council.
10. Powers and functions of General Council.
11. Executive Council.
12. Membership of Executive Council.
13. Term of office of members of Executive Council.
14. Powers and functions of Executive Council.
15. Meetings of Executive Council.
16. Academic Council.
17. Membership of Academic Council.
18. Powers and duties of Academic Council.
19. Meetings of Academic Council.
20. Finance Committee.
21. Officers of Institute.
22. Chairman of Institute.
23. Staff of Institute.
24. Payment of Institute.
25. Funds of Institute.
26. Objects to which Fund of Institute shall be applied.
27. Accounts and Audit.
28. Annual Report.
29. Budget.
30. Act and proceedings not to be invalidated by vacancies.
31. Power of State Government to give directions.
32. Returns and informations.
33. Authentication of orders and instruments of Institute.
34. Protection of action taken in good faith.
35. Power to make regulations.
36. Power to remove difficulties.
37. Act to have overriding effect.
38. Consequences to ensue on commencement of this Act.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2007.

THE MAHARSHI PATANJALI SANSKRIT SANSTHAN ADHINIYAM, 2007.

[Received the Assent of the Governor on the 5th May, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 11th May, 2007.]

An Act to provide for the establishment and incorporation of an Institute in the State of Madhya Pradesh for the purpose of prosecution of research and comprehensive study in the field of teaching of Sanskrit and its literature, and to regulate Sanskrit education at school level and for other matters connected therewith and ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan Adhiniyam, 2007.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Short title, extent and commencement.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Chairman" means the Chairman of the Institute appointed under sub-section (1) of Section 22;
- (b) "Committee" means the Committee constituted under clause (d) and (e) of Section 6;
- (c) "Director" means the Director of the Institute appointed under sub-section (1) of Section 23;
- (d) "Executive Council" means the Executive Council of the Institute constituted under Section 11;
- (e) "Fund" means the Fund of the Institute established under Section 25;
- (f) "General Council" means the General Council of the Institute constituted under Section 7;
- (g) "Institute" means the Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan established under Section 3;
- (h) "Regulations" means the regulations made by the Institute;
- (i) "School" means a State Government School and Private School including Pathshala in which education is imparted in Sanskrit;
- (j) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.

3. (1) The State Government shall, establish by a notification, an Institute to be called the Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan with effect from such date as may be specified in the notification.

Establishment and incorporation of Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan.

- (2) The headquarter of the Institute shall be at Bhopal.

(3) The Institute shall be a body corporate by the name aforesaid and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immovable and subject to the provisions made under this Act, to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue and be sued in its corporate name.

(4) In suits or proceedings by or against the Institute, the pleadings shall be signed and verified by the Director or a representative appointed by him or by any person nominated by him for the purpose and all processes in such suits or proceedings shall be issued to and served on the Director.

Objectives of Institute.

4. The objectives of the Institute shall be,—

- (i) to disseminate the knowledge, wisdom and vision presented in Sanskrit Language and Literature;
- (ii) to encourage, promote and conduct a system of School education relevant to the studies of the Sanskrit Language and Literature;
- (iii) to promote interaction and co-ordination among Sanskrit Pathashalas to make the study of traditional type of Sanskrit learning more purposeful and to effect fusion between traditional and modern systems of Sanskrit education;
- (iv) to institute career oriented courses related to Sanskrit through continuing education, correspondence and distance education;
- (v) to develop courses of study of Sanskrit in general and oriental Sanskrit in particular;
- (vi) to provide facilities for studies and research in Indian classical languages with special emphasis on Sanskrit;
- (vii) to develop as a centre of excellence in the field of teaching, training and research related to Sanskrit and its literature and allied branches of knowledge in Sanskrit;
- (viii) to establish Sanskrit schools for study of Sanskrit and its literature and allied branches of knowledge in Sanskrit including oriental Sanskrit;
- (ix) to develop courses of instruction related to Sanskrit education up to Uttara Madhyama (Higher Secondary) level;
- (x) to develop and conduct methodologies practicable to Sanskrit education with innovations; and
- (xi) to promote informal education in Sanskrit.

Powers and functions of Institute.

5. (1) Subject to the provisions of this Act, the Institute shall exercise the following powers and discharge the following function, namely :—

- (a) to provide for instruction including correspondence courses, teaching and learning in such branches of learning and courses of study related to Sanskrit and its literature and allied branches of knowledge, as it may think fit;
- (b) to make provisions for research in Sanskrit, conduct special courses and advancement and dissemination of knowledge of Sanskrit and its literature and allied branches;

- (c) to establish, maintain and manage institutions, schools, departments or specialised study centres;
 - (d) to grant, withdraw or, modify affiliation to Sanskrit schools or Pathshalas;
 - (e) to lay down the courses of instructions for various examinations conducted by the Institute;
 - (f) to award certificates and other academic distinctions and titles;
 - (g) to hold examinations or tests and grant certificates to persons who have pursued approved courses of study in the Institute or in a school admitted to the privileges of the Institute, in such manner as may be prescribed by regulation and passed the examinations or tests prescribed by the Institute;
 - (h) to withdraw or cancel any certificate granted by the Institute in such manner as may be prescribed by regulation;
 - (i) to organise and conduct conferences, symposia, workshops, refresher courses and other programme in furtherance of the objectives of the Institute;
 - (j) to maintain archives, libraries, information centres, data banks, museums and other institutions which are useful for the furtherance of the objects of the Institute;
 - (k) to collect, conserve, edit, publish ancient manuscripts, to reproduce valuable works of Sanskrit;
 - (l) to accept donations, grants, gifts or to borrow money from the Central Government or any State Government or from any individual, association or body corporate.
- Provided that power to borrow money shall be exercised only after obtaining previous approval of the Government of Madhya Pradesh;
- (m) to institute, hold and manage endowments for the promotion of Sanskrit;
 - (n) to institute awards, fellowships, studentships, scholarships, prizes, medals for promotion and propagation of Sanskrit;
 - (o) to give financial and other assistance to institutions or individuals for the purposes which are conducive to the furtherance of the objectives of the Institute;
 - (p) to inspect affiliated schools and to take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained in them and that adequate infrastructure is provided therein;
 - (q) to regulate the fees to be paid by the students in affiliated schools;
 - (r) to cooperate with other institutions, universities, authorities or associations or any other public or private bodies in such manner and for such purpose as Institute may determine;
 - (s) to develop internal financial resources of the Institute;

- (t) to make recommendations to the State Government in respect of subjects pertaining to education of Sanskrit;
- (u) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with prior approval of the State Government and to make appointment thereto for the Institute;
- (v) to promote publication of literature, songs and magazines in sanskrit for children;
- (w) to recommend text books and to publish syllabi of prescribed courses of study in schools and institutions established, maintained, managed or affiliated by the Institute;
- (x) to demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by regulations;
- (y) to adopt measures to promote physical, moral and social welfare of students in school's and institutions established, maintained, managed or affiliated by the Institute and to prescribe conditions of their hostels;
- (z) to constitute pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of the academic, administrative or other staff of the Institute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by regulations;
- (aa) to make recommendations to the State Government as to the courses of instruction and syllabi of primary, middle and secondary education with a view to propagating Sanskrit education in schools; and
- (ab) to do all such other acts and things as may be necessary in order to further the objectives of the Institute or which may be incidental or ancillary thereto.

**Authorities of
Institute.**

6. The following shall be the authorities of the Institute :—

- (a) the General Council;
- (b) the Executive Council;
- (c) the Academic Council;
- (d) the Finance Committee; and
- (e) such other Committies or bodies as may be declared by regulations to be authorities of the Institute.

General Council.

7. (1) There shall be a General Council of the Institute which shall consist of the following members, namely :—

Ex-officio Members

- (i) The Chief Minister of Madhya Pradesh;
- (ii) the Minister-in-charge of School Education Department, Government of Madhya Pradesh;

- (iii) the Minister-in-charge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh;
- (iv) the Minister-in-charge of Tribal Welfare Department, Government of Madhya Pradesh;
- (v) the Minister-in-charge of Culture Department, Government of Madhya Pradesh;
- (vi) the Chairman of the Institute;
- (vii) the Chairman, Madhya Pradesh Board of Secondary Education;
- (viii) the Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh;
- (ix) the Principal Secretary/Secretary of Finance Department, Government of Madhya Pradesh;
- (x) the Principal Secretary/Secretary of School Education Department, Government of Madhya Pradesh;
- (xi) the Principal Secretary/Secretary of Tribal Welfare Department, Government of Madhya Pradesh;
- (xii) the Principal Secretary/Secretary of Culture Department, Government of Madhya Pradesh;
- (xiii) the Commissioner, Public Instructions, Madhya Pradesh;
- (xiv) the Commissioner, Rajya Shiksha Kendra;
- (xv) Director of the Institute;

Nominated Members

- (xvi) three Professors of Sanskrit from universities of Madhya Pradesh;
- (xvii) three Principals or Head Masters of schools affiliated to Institute who are able to take part in discussion or debate in Sanskrit;
- (xviii) six social workers who are learned in Sanskrit and are involved in propagation of Sanskrit knowledge and are able to take part in the discussion or debate in Sanskrit.

(2) The Chief Minister of Madhya Pradesh shall be the President and the Minister-in-charge of School Education, Madhya Pradesh shall be the Vice President of the General Council.

(3) The Director of the Institute shall be the Secretary of the General Council.

(4) The members under clause (xvi) to clause (xviii) shall be nominated by the State Government.

8. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and (3), the term of office of the nominated members of the General Council shall be five years.

(2) Where a member of the General Council becomes such member by virtue of the office or post he holds or is a nominated member, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment or, as the case may be, his nomination is withdrawn or cancelled.

Term of office of
members of Gen-
eral Council.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member accepts a full time appointment in the institute or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chairman or acts against the interest of the Institute.

(4) A nominated member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Institute, and such resignation shall take effect as soon as such resignation has been accepted by the Chairman.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

Meeting of General Council.

9. (1) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings.

(2) The President shall preside over the meeting and in his absence the Vice-President shall preside over the meeting and in absence of both the President or Vice-President the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form the quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the President or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the President may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the Institute during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet duly audited, and the financial estimate shall be presented by the Director to the General Council at its annual meeting.

Powers and functions of General Council.

10. (1) Subject to the provisions of this Act and regulations of the Institute, the General Council shall be the highest decision making body which shall cause as necessary action to be taken for achievement of the Institute's objectives.

(2) Without prejudice to the generality of the above provision, the General Council shall exercise the following powers and discharge the following functions to carry out and manage the business and affair of the Institute :—

- (a) to review the affairs and performance of the Institute from time to time;
- (b) to make and review the broad policies, programmes of the Institute and to suggest measures for the improvement and development of the Institute;
- (c) to consider and approve annual report, annual budget, annual accounts and audit report of the Institute;

- (d) to act as an apex body in all matters relating to the Institute;
- (e) to make such regulations as may from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the Institute and to alter, modify and to rescind them;
- (f) to monitor, supervise and control all the authorities, officers and bodies of the Institute;
- (g) to delegate all or any of its powers to the Chairman, the Director or any authority or committee or any sub-committee or to any one or more of its members or any employee of the Institute; and
- (h) to perform such other functions as it may deem necessary for efficient functioning and administration of the Institute.

11. (1) The Executive Council shall be the chief executive body of the Institute.

Executive Council.

(2) The administration, management and control of the Institute and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the Institute.

12. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely :—

Membership of Executive Council.

- (i) the Chairman of the Institute;
- (ii) the Director;
- (iii) two members of the General Council to be nominated by the General Council;
- (iv) the Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
- (v) the Principal Secretary/Secretary of School Education Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
- (vi) the Principal Secretary/Secretary of Finance Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
- (vii) the Commissioner, public Instructions, Madhya Pradesh;
- (viii) the Commissioner, Rajya Shiksha Kendra;
- (ix) two whole time teachers of the Institute, nominated by the Chairman of Institute by rotation according to seniority;
- (x) the Secretary, Madhya Pradesh Board of Secondary Education;
- (xi) two Principals or Head Masters of affiliated schools nominated by the Chairman of the Institute.

(2) The Chairman of Institute shall be the Chairman and the Director shall be the Secretary of the Executive Council.

Term of office of members of Executive Council.

13. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council other than an ex-officio member shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council, or acts against the interests of the Institute or if a member other than the Director or a member of a faculty accepts a full time appointment in the Institute.

(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in sub-sections (1) or (2), members of the Executive Council other than ex-officio members, shall relinquish their membership on the expiry of five years from the date on which they become members of the Executive Council.

(4) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

Powers and functions of Executive Council.

14. Without prejudice to the provisions of Section 5, the Executive Council shall have the following powers and functions :—

- (i) to create, abolish or classify teaching posts in the Institute and to determine the qualifications, methods of recruitment, emoluments and duties attached thereto after considering the recommendations of the Academic Council :

Provided that creation of posts shall be made only with the prior approval of the State Government;

- (ii) to create administrative, ministerial and other necessary posts, and to determine the minimum qualifications, methods of recruitment and emoluments of such posts with the prior approval of State Government;
- (iii) to appoint from time to time teaching and ministerial staff as may be necessary on the recommendations of the selection committees constituted by regulations for this purpose;
- (iv) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose to appoint such agents, as it may deem fit;
- (v) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the Institute;
- (vi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute and for that purpose to appoint such agents;
- (vii) to provide the buildings, premises, furniture, apparatus, equipments and other assets needed for carrying on the work of the Institute;

- (viii) to decide appeals and representations of the teachers, students and employees of the Institute in accordance with the regulations;
- (ix) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of examiners and moderators on the recommendations of the Academic Council;
- (x) to select a common seal for the Institute and to provide for the custody of the seal;
- (xi) to consider the budget proposals and the proposals for reappropriation, accounts and audit reports and submit them to the General Council with such recommendations as it may deem fit;
- (xii) to admit schools to privileges of the Institute on the recommendation of the Academic Council subject to the provisions of the regulations and to withdraw any of the privileges;
- (xiii) to arrange for and direct the inspection of affiliated schools and to issue instructions for maintaining their efficiency and for ensuring proper conditions of education and in case of disregard of such instruction, to modify on the recommendations of the Academic Council the conditions of affiliation or taking of such other steps as deemed necessary and proper in that behalf;
- (xiv) to call for reports, return and other information from affiliated schools;
- (xv) to recognize a member of the staff of an affiliated school as a teacher of the Institute and withdraw such recognition;
- (xvi) to constitute standing committees and sub-committees for discharging various duties and functions;
- (xvii) to consider the annual report prepared by the Director and submit it to the General Council with such modifications as it may deem fit;
- (xviii) to approve proposals of expenditure in accordance with regulations made in this behalf;
- (xix) to consider the recommendations made by the finance Committee or the Academic Council and take appropriate decision thereon;
- (xx) to prepare regulations and submit them for the approval of the General Council; and
- (xxi) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act or are required to give effect to the provisions of this Act.

15. (1) The Executive Council shall meet at least once in three months.

Meetings of Executive Council.

(2) The Chairman of the institute shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) Six members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) The Chairman may, invite any expert in a meeting of the executive Council but such expert shall not have any voting right.

Academic Council.

16. The Academic Council shall be the academic body of the Institute and shall, subject to the provisions of this Act and the regulations, have power of control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination of the Institute and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed up on it by this Act or the regulations and it shall have right to advise the Executive Council on all academic matters.

Membership of Academic Council.

17. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

- (i) the Chairman of the Institute who shall be the Chairman thereof;
- (ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or learned professionals or eminent public men, who are not in the service of the Institute nominated by the Chairman in consultation with the Executive council;
- (iii) the Director, who shall be Secretary of the Academic council;
- (iv) three Principals or Head Masters of affiliated schools nominated by the Chairman;
- (v) two Professors of Sanskrit of universities of Madhya Pradesh nominated by Chairman in consultation with the Executive Council;
- (vi) all the Heads of the Department of the Institute;
- (vii) two members of the teaching staff of the Institute nominated by Chairman; and
- (viii) the Secretary, Madhya Pradesh Board of Secondary Education.

(2) The term of the members other than ex-officio members shall be three years.

Powers and duties of Academic council.

18. Subject to the provisions of this Act or the regulations, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (i) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;
- (ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the Institute and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;
- (iii) to make recommendations to the Executive Council on formulaion, modification or revision of schemes for organisation of the faculties and expediency of abolition or sub-division of any faculty or merging of faculties;
- (iv) to submit to the Executive Council regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the Institute;

- (v) to make recommendations to the Executive Council on matters relating to promotion of research within and outside the Institute;
- (vi) to consider proposals relating to teaching and research submitted by the faculties and to make appropriate recommendation to the Executive Council;
- (vii) to advise the Executive Council on recognition certificates of other boards, institutes and determination of their equivalence in relation to the certificates of the Institute;
- (viii) to make recommendation to the Executive Council on institution of fellowship, scholarships and other distinctions;
- (ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
- (x) to make recommendations to the Executive Council on awards, stipends, scholarships, medals and prizes;
- (xi) to recommend to the Executive Council, text books and syllabi for the prescribed courses of study; and
- (xii) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the regulations.

19. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

Meeting of Academic Council.

(2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council or, as the case may be, the member presiding over the meeting, shall in addition have a casting vote.

(5) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Academic Council and the Action so taken shall be intimated forthwith to all the members of the Academic Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for confirmation.

20. (1) There shall be a Finance committee consisting of the following members, namely:—

Finance Committee.

- (i) the Chairman of the Institute;
- (ii) the Director;

- (iii) two members nominated by the Executive Council from amongst its members; and
 - (iv) an officer each of the Finance Department and the School Education Department not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Madhya Pradesh, to be nominated by the State Government.
- (2) The Director of the Institute shall be the Secretary of the Finance Committee.
- (3) The members mentioned in clause (iii) of sub-section (1) of the Finance Committee shall hold office for a period of three years.
- (4) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:—
- (i) to examine and scrutinise the annual budget of the Institute and submit it to the Executive council and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;
 - (ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive council;
 - (iii) to consider the periodic statements of accounts and to review the finances of the Institute from time to time and to consider reappropriation statements and audit reports and to make recommendations to the Executive Council;
 - (iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the Institute either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Chairman of the Institute.
- (5) The Finance committee shall meet at least once in six months and three members of the Finance Committee shall form its quorum.
- (6) The Chairman of the Institute shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

**Officers of
Institute.**

21. The following shall be the officers of the Institute, namely:—

- (i) the Chairman of the Institute;
- (ii) the Director; and
- (iii) such officers as may be prescribed by the regulations.

**Chairman of
Institute.**

22. (1) A Sanskrit scholar of repute shall be appointed as the Chairman of the Institute by the President of General Council in accordance with the regulation made in this behalf.

(2) The Chairman shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier and shall, be eligible to be considered for subsequent terms subject to the upper age limit of sixty five years :

Provided that he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office, but such period shall not exceed six months.

(3) The service conditions and functions of the Chairman shall be determined by the regulation made in this regard.

(4) The Chairman shall be the principal executive and academic officer of the Institute and it shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the regulation are faithfully observed.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, in any emergency, arising out of the business of the Institute which in the opinion of the Chairman requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report, his action for confirmation to the Executive Council at its next meeting :

Provided that the action taken by the Chairman shall not commit the Institute to any recurring expenditure for a period of more than three months :

Provided further that this power shall not extend to matters regarding amendment in regulations or any matter relating to appointments.

(6) If in the opinion of the Chairman any proceeding of any authority, committee or other body of the Institute is likely to be prejudicial to the interest of the Institute, he shall record his reasons and refer the matter to the General Council and so inform the authority, committee or other body concerned where upon the decision concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the General Council.

(7) If, at any time, upon representation made or otherwise and after making such enquires as may be deemed necessary, it appears to the President of the General Council that the Chairman of the Institute,—

- (a) has failed in performing any duty imposed on him, by or under this Act or the regulations; or
- (b) has acted in a manner prejudicial to the objectives or interests of the Institute; or
- (c) is incapable of managing the affairs of the Institute, the President may, notwithstanding the fact that the term of office of the Chairman has not expired, by an order in writing, stating the reasons therein, require him to relinquish his office from such date as may be specified in the order :

Provided that no order under this sub section shall be passed without giving or reasonable opportunity to the Chairman of showing cause against the proposed order.

(8) As from the date specified in the order passed under sub-section (7), the Chairman shall be deemed to have relinquished his office and the post shall fall vacant.

23. (1) Subject to such regulations, as may be made by the Institute in this behalf, with the prior approval of the State Government, the Institute shall appoint a Director, who shall hold a graduate degree in Sanskrit or an equivalent qualification as specified by regulations and shall be able to take part in discussion or debate in Sanskrit.

Staff of Institute.

(2) The Director shall act as Secretary to the Institute as well of the General Council, Executive Council, Academic Council and Finance Committee.

(3) The Director shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulations or as may be delegated to him by the General Council, Executive Council, Academic Council or Finance Committee.

(4) Subject to such regulations as may be made by the Institute in this behalf, the Institute with the prior approval of State Government may appoint such number of other officers and employees as may be necessary for the exercise of its powers and may determine their designations, grades and qualifications, and all staff of the Institute shall hold such essential qualification particularly in Sanskrit as prescribed by regulation and shall be able to participate in discussion or debate in Sanskrit.

(5) The officers and employees of the Institute shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may be prescribed by regulations made in this behalf.

Payment to
Institute.

24. The State Government may, from time to time, grant such sums of money to the Institute as may be deemed fit.

Fund of Institute.

25. (1) The Institute shall establish and maintain a Fund to be called the Fund of the Institute.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the Institute Fund:—

- (a) all moneys provided by the State Government;
- (b) any contribution or grant by the Central Government or other State Governments;
- (c) all fees and others receipts received by the Institute;
- (d) all moneys received by the Institute by way of gifts, donations, trust, endowment or transfers and other grant, if any;
- (e) all moneys received by the Institute in any other manner or from any other service.

Objects to which
Fund of Institute
shall be applied.

26. The fund of the Institute shall be applicable to the following objects, namely:—

- (a) to the repayments of debts incurred by the Institute for the purpose of this Act and regulations made thereunder;
- (b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the Institute is a party;
- (c) to the payment of salaries and allowances to the officers and employees of the Institute;
- (d) to the payment of any expenses incurred by the Institute in carrying out the provisions of this Act and the regulations made thereunder;
- (e) any other expenses incurred for the promotion, development research and training of Sanskrit education.

Accounts and au-
dit.

27. (1) The accounts of the Institute shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner as may be prescribed by regulations.

(2) The accounts of the Institute shall be audited by the auditor appointed by the Institute and the audit fee of the auditor shall be fixed by the Institute from time to time.

(3) As soon as the accounts of the Institute are audited, the Institute shall send a copy of the audited accounts together with audit report and balance sheet to the State Government in such manner as may be prescribed by regulations.

Annual Report.

28. (1) The Director shall prepare for every year a report of the activities of the Institute and submit it to the General Council through the Executive Council for approval.

(2) The copies of the annual report as approved by the General Council shall be submitted to the State Government and the annual report shall be laid on the table of the Legislative Assembly as early as possible on its receipt by the State Government.

Budget.

29. (1) The Director of the Institute shall cause to be prepared, in such form as may be prescribed by regulations, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure and shall submit it to the General Council through the Finance Committee and Executive Council.

(2) The General Council shall be competent to reappropriate such amounts as may be necessary from one head to another and within such heads or minor heads.

(3) The General Council may, as and when required, pass a supplementary budget in such form and by such date as may be prescribed by regulations.

30. No Act done or proceeding taken by the Institute, the General Council, the Executive Council or any committee or sub-committee under this Act shall be questioned on the ground merely of the reason of any existence of vacancy in or defect in the constitution, of the Institute or the General Council, or, the Executive Council or any of its authorities, committee or sub-committee.

Act and proceedings not to be invalidated by vacancies.

31. (1) The Institute shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act.

Power of State Government to give directions.

(2) The State Government may cause an inspection or appraisal to be made by such person as it may direct, of the Institute, its buildings, laboratories, museums, workshops and equipments and of any institution maintained by the Institute or admitted to its privileges, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the Institute, and cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the Institute.

(3) The person referred to in sub-section (2), shall report to the State Government, the result of such inspection, appraisal or inquiry and thereupon the State Government shall communicate such directions, as it may be deem fit, to the Institute.

32. The Institute shall furnish to the State Government such reports, returns and other information as it may require from time to time.

Returns and informations.

33. All orders and decisions of the Institute and other instruments shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorized by the Institute in this behalf.

Authentication of orders and instruments of Institute.

34. No suit or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the Institute, the authorities or any officer or employee or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to have been done in pursuance of this Act and regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

35. (1) The institute may, with the approval of the General Council, make regulations consistent with this Act to carry out the purposes of this Act and without prejudice to the generality of the foregoing power such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

Power to make regulations.

- (a) procedure of selection of the Chairman of the Institute to be appointed under sub-section (1) of Section 22;
- (b) terms and service conditions of the Chairman under sub-section (3) Section 22 and Director under sub-section (1) Section 23;
- (c) preparation of accounts under sub-section (1) of Section 27;
- (d) the manner in which the audited account and audit report shall be sent under sub-section (3) of Section 27;
- (e) preparation of budget and supplementary budget under Section 29;
- (f) the conditions of award of fellowships, scholarships, studentship, medals, prizes etc;

- (g) the powers and functions of the Chairman and the Director under sub-section (3) of Section 22 and sub-section (3) of Section 23 respectively;
- (h) the constitution, powers and duties of authorities or committees constituted under the Act;
- (i) the imposition of penalty on candidates using unfair means or interfering in the examinations conducted by the Institute;
- (j) the award of certificates;
- (k) the conditions of recognition of schools for purpose of admission to the privileges of the Institute, the qualifications and conditions of service of teachers and framing of a school code to ensure a minimum standard of education;
- (l) the courses of studies to be laid down for all certificates;
- (m) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Institute and shall be eligible for certificates;
- (n) the fees for admission to the examinations of the Institute;
- (o) the conduct of examinations;
- (p) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the examinations of the Institute;
- (q) the admission of institutions to the privileges of the Institute and the withdrawal thereof;
- (r) the appointment of officers and other employees of the Institute and the conditions of their service;
- (s) the constitution of Provident Fund for the benefit of the officers, and employees of the Institute;
- (t) the control, administration, safe custody and management in all respects of the finances of the Institute; and
- (u) all matters which by this Act are to be or may be provided for by regulations.

(2) The General Council on receiving regulations from Executive Council for approval may approve them subject to such modifications as it may think fit or return them to the Executive Council for reconsideration.

(3) All regulations made shall be published in the official Gazette.

(4) The State Government may, by notification, cancel or modify any regulation:

Provided that the Institute shall be given an opportunity of being heard before such cancellation or modification.

Power to remove difficulties.

36. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provision of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

37. The provisions of this Act and regulations made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent there with contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Act to have overriding effect.

38. As from the date of commencement of this Act, the following provision shall have effect, namely :—

Consequences to ensue on commencement of this Act.

- (i) all Sanskrit Schools or Pathshalas of Madhya Pradesh imparting Sanskrit education upto Uttar Madhyama level (Higher Secondary level) and presently affiliated with the Madhya Pradesh Board of Secondary Education or Madhya Pradesh Sanskrit Board or any University of the State shall be affiliated with the Institute;
- (ii) The Madhya Pradesh Sanskrit Board shall be merged with the Institute;
- (iii) the administration of the Jivaji Vedh Shala, Ujjain and the Rajya Yog Prashikshan Kendra, Bhopal shall vest with the Institute;
- (iv) all assets and liabilities of the establishments referred to in clause (ii) and clause (iii) shall vest with the Institute;
- (v) all employees belonging to the establishments referred to in clause (ii) and clause (iii) shall be deemed to be the employees of the Institute:

Provided that the term and conditions of service of such employees shall not be modified in such a manner that it is less favourable to them:

Provided further that the Government employees posted in the establishments referred to in clause (ii) and clause (iii) shall be deemed to be posted on deputation with the Institute till their services are absorbed with their consent or they are repatriated to their parent department.